ग्राम पंचायत संचुई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनाँक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत संचुई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत संचुई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/395 दिनाँक 02-01-2024 द्वारा अवगत करवाया गया । तदोपरांत पुन: अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/396 दिनाँक 04-01-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसका कोई प्रत्युत्तर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन का उपलब्ध न होना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है एवं गत अंकेक्षण के पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2018 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	
4.	6	अनिर्णीत	

5.	7	अनिर्णीत	
6.	7.1	अनिर्णीत	
7.	8	अनिर्णीत	
8.	9	अनिर्णीत	
9.	10	अनिर्णीत	
10	11	अनिर्णीत	
11	12	अनिर्णीत	
12	13	अनिर्णीत	

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत संचुई में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव,ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्री संजीव कुमार	01-04-2021 से 31.03.2023

सचिव

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री सुनील कुमार	01.04.2021 से 30.09.2022
2.	श्रीमति विक्रमा देवी	01.10.2022 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सेवक

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती वंदना कुमारी	01-04-2021 से 31-03-2023

तकनीकी सहायक

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री साब सिंह	01-04-2021 से 31-03-2023

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत संचुई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र०स०	**पैरा संख्या**	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1.	4.3	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.18
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	38.53
3.	7.1	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	0.99

4.	7.2	विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	0.01,
5.	8.2	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	0.24
6.	8.3	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	0.60
7.	9.1	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	1.84
8.	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	3.16
9.	9.3	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	6.02
10.	9.4	वास्तविक बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	0.23
11.	10.3	प्रियासॉफ्ट व मैनुअल संधारित लेखों में भारी अन्तर	6.43

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत संचुई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 02-01-2024 से 08-01-2024 तक ग्राम पंचायत संचुई के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	02/2022	01/2022
2.	2022-2023	10/2022	08/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत संचुई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-21 से 31-03-23 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है । अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/ 409 दिनाँक 08.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत संचुई द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (क) स्वः-स्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत संचुई के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्वः-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:-

(i) स्वः-स्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	116109	39207	155316	3005	152311
2022-23	152311	43268	195579	13750	181829

(ii) अनुदान (परिशिष्ट-1)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	1698561	5157570	6856131	4545314	2310817
2022-23	2310817	5538669	7849486	3996452	3853034

कुल योग (i + ii) = ₹181829+ 3853034= ₹4035063

(ख) ग्राम पचांयत संचुई, विकास खण्ड भरमौर जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनाँक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा	अनुदान का नाम	राशि (₹)
1	17810103205	HP state Co-op Bank Bharmour	SF/SFC/LADA	877505
2	99231302301743,	HPGB Bharmour	SF/SFC/LADA	14962
3	17810113376	HP state Co-op	JAIV VIVIDHTA	1364

		Bank Bharmour		
4	50100065815736	HDFC Bharmour	14TH FC	49
5	50100313556445	HP state Co-op Bank Holi	15th FC	3122079
			Cash In Hand	400
				4016359

अन्तर (क-ख) **4034863** - 4016359 = ₹ 18504

4.2 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.18 लाख का अन्तर पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत संचुई द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम] 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाँक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹6502.00 का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24-397 दिनाँक 04.01.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्वः-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अत: परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में संस्था की जरूरत अनुरूप अतिरिक्त राशि को निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹38.53 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट 2**" पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिंनाक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**3853034.00** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24-400 दिनाँक 04.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत संचुई के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.99 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹**66925**/- की राशि 31.03.23 तक वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष (₹)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2021-22	69600	757	20	15140	84740	0	84740
2	2022-23	84740	759	20	15180	99920	0	99920

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 398 दिनाँक 04-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है । अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹1075/-की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनाँक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनाँक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त पंचायत सचिव द्वारा **परिशिष्ट -3** अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण पंचायत को राशि ₹1075/- की वितीय हानि हुई। इसके अतिरिक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-399 दिनाँक 04-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली रसीद संख्या 104005 दिनाँक 05.01.2024 को कर ली गई है।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 404 दिनाँक 08-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे।

अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹0.24 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली, 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म,XY-फॉर्म प्राप्त कर सम्बन्धित पंचायत को देना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत संचुई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही थी। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/ XY-फॉर्म /M-फॉर्म लिया गया था और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई थी फलस्वरूप सरकार को कुल ₹24771/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट " 4 "** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/402 दिनाँक 06.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि "उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा

दिया जायेगा एवं भविष्य में M-फार्म/X-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समय पर सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।"

अत: पंचायत द्वारा रॉयल्टी न काटा जाना न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी वित्तीय हानि है।

अत: भविष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र/XY-फॉर्म/M-फ़ार्म न होने की दशा में रॉयल्टी की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं वर्तमान में रॉयल्टी न काटे जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की रॉयल्टी की वसूली उचित स्रोत से करके शीघ्रअतिशीघ्र सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 उचित टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.60 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 हेतु स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1057198/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹60308/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/402 दिनाँक 06-01-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर लिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष

में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत संचुई के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 ₹1.84 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत संचुई के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।
3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्टरोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ट संख्या /दिनाँक	राशि (₹)	विवरण	मद	कार्य का नाम
Muster Roll No	CB Page No /Date	Amount	Discription Of Item	Head	Name of Work
55650	3/07.01.22	59355	labour payment	15th FC	drain at sanchui
55652	3/07.01.22	55980	labour payment	15th FC	drain at sanchui
55658	3/07.01.22	34605	labour payment	15th FC	danga nirman nag mandir
55657	3/07.01.22	34980	labour payment	15th FC	danga nirman nag mandir
	Total	**184920**			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 405 दिनाँक 06.01.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत संचुई के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹3.16 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम, 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है तथा इसके अतिरिक्त पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत संचुई द्वारा राशि **₹316396**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितिता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनाँक	मद का विवरण	राशि (₹)
1	03/2021/17.04.21	14th FC	Manimahesh Printing Press Bharmour	1526/1695/1700	07.07.21	Stationary	11500
2	14/26.11.21	14th FC	R.K Electronics Bharmour	426	08.09.21	Electricity Item	8064
3	1/07.01.22	15th FC	Balbir Singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	100	25.10.21	Pvc Pipe ,Tee Etc.	32560
4	2/07.01.22	15th FC	Balbir Singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	99	18.10.21	Pvc Pipe ,Tee Etc.	29860
5	3/07.01.22	15th FC	Balbir Singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	98	16.10.21	Pvc Pipe ,Tee Etc.	32560
6	14/07.01.22	15th FC	Kamlesh Kumar Bharmour Distt Chamba	Nil	20.10 .21	Steel	7577
7	02/06.06.22	14th FC	Ashok Panjla Tiles Tehsil Nurpur	165 (Performa Bill	28.03.22	Cement Concrete Banch	194275
						Total	**316396**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 401 दिनाँक 04-01-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत संचुई के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में

नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹6.02 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के चैप्टर-8 नियम, 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है, का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न वर्णित राशि ₹602159.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	03/2021/17.04.21	14th FC	Manimahesh printing press bharmour	Stationary	11500
2	12/25.11.21	14th FC	M/s sharma general store	Kitchen ware	2599
3	14/26.11.21	14th FC	R.k electronics bharmour	Electricity item	8064
4	1/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Pvc pipe ,tee etc.	32560
5	2/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Pvc pipe ,tee etc.	29860
6	3/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Pvc pipe ,tee etc.	32560
7	5/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Sand	45312
8	5/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt	Aggrigate	89030

			cont. Tehsil bharmour		
9	12/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Sand	21133
10	5/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Aggrigate	22446
11	5/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Stone	72000
12	17/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Sand	46327
13	5/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Aggrigate	10730
14	23/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Sand	24357
15	23/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Stone	32786
16	31/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Aggrigate	26216
17	31/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Sand	36954
18	31/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Stone	24245
19	32/07.01.22	15th FC	Balbir singh govt cont. Tehsil bharmour	Stone	33480
				Total	**602159**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/406 दिनाँक 6-01-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया । इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव उचित तरीके से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था । लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार किये गये व्यय के अभिलेख बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण किये गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकती जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनाँक	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	02/2021/ 06.04.21	**14th FC**	Sewas Biotech	Nil	Nil	Nil	14493.00
2	06/2021/ 07.07.21 Cbp-2	**14th FC**	Nil	Nil	Nil	Nil	9261.00
						Total	**23754.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/408 दिनाँक 08-1-2024 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त व्यय की गई राशि के वास्तविक बिल आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-396 दिनाँक 04-01-2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला DPO 5th स्टेट व SFC का पंचायत द्वारा स्व-स्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 396 दिनाँक 04-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत संचुई द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹6.43 लाख के अन्तर बारे

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में e-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य), 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत e-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनाँक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹643343/-का अन्तर पाया गया

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	4678206/-
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	4034863/-
अन्तर	643343/-

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/407 दिनांक 08.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8 .	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-403, दिनाँक 06.01.2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत संचुई की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0 / 50
1706 – 1710 30 MAR 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 36/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत

5. सचिव, ग्राम पंचायत संचूई, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

का0 / 50

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

पारिग्राफ -1 पैरा संख्या 4.1 क(ii) के सम्बन्ध में
पैरा संख्या 6 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP SANCHUI "	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP-176326	Year Ended	2021-22
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	0	199396	199396	139300	60096
2	14TH FC	577035	18791	595826	284277	311549
3	15TH FC	1121526	1997278	3118804	1179632	1939172
4	LADA	0	0	0	0	0
5	SBM	0	0	0	0	0
6	MANREGA	0	2942105	2942105	2942105	0
	Total	1698561	5157570	6856131	4545314	2310817
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		0	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP-176315	Year Ended	2022-23
1	5TH SFC	60096	141600	201696	162200	39496
2	14TH FC	311549	107829	419378	419154	224
3	15TH FC	1939172	1605050	3544222	413908	3130314
4	LADA	0	683000	683000	0	683000
5	SBM	0	48000	48000	48000	0
6	MANREGA	0	2953190	2953190	2953190	0
	Total	2310817	5538669	7849486	3996452	3853034
	Balance as Per Bank on 31.03.23					
	A/c No	Branch	Head			
1	17810103205	HP state Co-op Bank Bharmour	SF/SFC/LADA			877505
2	99231302301743,	HPGB Bharmour	SF/SFC/LADA			14962
3	17810113376	HP state Co-op Bank Bharmour	JAIV VIVIDHTA			1364
4	50100065815736,	HDFC Bharmour	14TH FC			49
5	50100313556445,	HP state Co-op Bank Holi	15th fc			3122079
						0
		Cash In Hand				400
	Total					4016359
1	Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)					181829
2	Cash Book Balance on 31.03.2023		5TH SFC			39496
3	Cash Book Balance on 31.03.2023		14TH FC			224
4	Cash Book Balance on 31.03.2023		15TH FC			3130314
5	Cash Book Balance on 31.03.2023		LADA			683000
6	Cash Book Balance on 31.03.2023		SBM			0
				Total		4034863
				Diffrence		18504
	Note :- 1.Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book					
	2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book					
	3.Mnrega cash book not maintained so income and expenditure taken from mnrega financial position					

Secretary
Gram Panchayat Sachuin
Dev. Block Bharmour
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट -2 पैरा संख्या 4.1 क (i) के संदर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o	" GP SANCHUI " Dev. Block CHAMBA				Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	116109	39207	155316	3005	152311
2022-23	152311	43268	195579	13750	181829

0

क्रम संख्या	विवाह पजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	बसूली योग्य राशी	बसूली गई राशी	बसूली हेतु शेष राशी
2022-23 ग्राम पंचायत संचुई							
1	32	रोहित s/oधीरज	10/5/2022	31/5/2022	25	0	25
2	33	वेद s/o चुनी लाल	10/5/2022	31/5/2021	25	0	25
3	34	रामन s/o मोती	13/12/2021	31/5/2022	25	0	25
4	35	पंकज कुमार s/o नरेश	21/6/2022	12/7/2022	200	0	200
5	36	अकिंज s/oजयराम	7/7/2022	13/7/2022	25	0	25
6	37	पंकज s/o ओमप्रकाश	8/7/2022	24/8/2022	25	0	25
7	38	रमेश कुमार s/o हीरा	8/7/2022	25/8/2022	200	0	400
8	39	तरुण s/o जेसी राम	15/8/2022	3/9/2022	25	0	25
9	40	रोहित कुमार s/o ओमप्रकाश	13/9/2022	12/10/2022	25	0	25
10	41	सुनील s/o गोपाल	20/7/2022	13/10/22	2	0	200
11	42	राजू s/o जोगिद्र	4/8/2022	26/9/2022	25	0	25
12	43	अमित कुमार s/o जगदीश	27/9/2022	10/10/2022	25	0	25
13	44	विवेक s/o ओमप्रकाश	28/9/2022	10/10/2022	25	0	25
14	45	जसवंत s/o सरवन	2/12/2022	19/12/2022	200	200	0
15	46	दिनेश कुमार s/o बशाखी	7/12/2023	19/12/2022	25	0	25
16	47	विवेक s/o कमलेश	9/2/2023	10/2/2023	200	200	0
							1075

Secretary
Gram Panchayat Sachuin
Dev. Block Bharmour
Distt. Chamba (H.P.)

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP SANCHUI D.B BHARMOUR FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Bill DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED
1	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	1/07.01.22	PVC Pipe ,Tee etc.					32560	27593.2	4966.8
2	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	2/07.01.22	PVC Pipe ,Tee etc.					29860	25305.1	4554.9
3	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	3/07.01.22	PVC Pipe ,Tee etc.					32560	27593.2	4966.8
4	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	5/07.01.22	SAND	7.59	12.2958	60	737.748	45312	43154.3	2157.7
5	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	5/07.01.22	Aggrigate	15.35	23.332	60	1399.92	89030	84790.5	4239.5
6	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	12/07.01.22	sand	3.54	5.7348	60	344.088	21133	20126.7	1006.3
7	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	5/07.01.22	Aggrigate	3.87	5.8824	60	352.944	22446	21377.1	1068.9
8	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	5/07.01.22	stone	20	44.8	60	2688	72000	68571.4	3428.6
9	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	17/07.01.22	sand	7.76	12.5712	60	754.272	46327	44121.0	2206.0
10	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	5/07.01.22	Aggrigate	1.85	2.812	60	168.72	10730	10219.0	511.0
11	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	23/07.01.22	sand	4.08	6.6096	60	396.576	24357	23197.1	1159.9
12	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	23/07.01.22	stone	6.57	14.7168	60	883.008	32786	31224.8	1561.2
13	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	31/07.01.22	Aggrigate	4.62	7.0224	60	421.344	26216	24967.6	1248.4
14	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	31/07.01.22	sand	6.19	10.0278	60	601.668	36954	35194.3	1759.7
15	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	31/07.01.22	stone	7.44	16.6656	60	999.936	24245	23090.5	1154.5
16	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	15th fc	32/07.01.22	stone	9.3	20.832	60	1249.92	33480	31885.7	1594.3
17	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	85/05.12.21	stone	5.5	12.32	60	739.2	19800	18857.1	942.9
18	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	87/05.12.21	stone	4.72	10.5728	60	634.368	16992	16182.9	809.1
19	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	86/5.12.21	stone	4.2	9.408	60	564.48	15120	14400.0	720.0

20	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	82/11.10.21	stone	8	17.92	60	1075.2	28800	27428.6	1371.4
21	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	51/10.6.21	stone	14.8	33.152	60	1989.12	37000	35238.1	1761.9
22	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	58/10.6.21	stone	9.14	20.4736	60	1228.416	41130	39171.4	1958.6
23	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	57/10.06.21	Aggrigate	5	7.6	60	456	12360	11771.4	588.6
24	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	83/26.10.21	stone	6	13.44	60	806.4	21600	20571.4	1028.6
25	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	84/26.10.21	stone	6	13.44	60	806.4	21600	20571.4	1028.6
26	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	53/11.06.21	sand	20	32.4	60	1944	76000	72381.0	3619.0
27	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	55/11.06.21	Aggrigate	22	33.44	60	2006.4	77000	73333.3	3666.7
28	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	97/19.3.22	stone	8.5	19.04	80	1523.2	30600	29142.9	1457.1
29	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	96/19.03.22	stone	8	17.92	80	1433.6	28800	27428.6	1371.4
30	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	108/10.4.22	stone	7	15.68	80	1254.4	25200	24000.0	1200.0
31	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	101/25.03.22	stone	7	15.68	80	1254.4	25200	24000.0	1200.0
32	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	74/11.10.21	sand	10.88	17.6256	60	1057.536	64953	61860.0	3093.0
33	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	77/11.10.21	stone	27	60.48	60	3628.8	97200	92571.4	4628.6
34	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	101/25.03.22	stone	7	15.68	80	1254.4	25200	24000.0	1200.0
35	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	72/11.10.21	stone	15	33.6	60	2016	54000	51428.6	2571.4
36	Balbir singh Govt Cont. Tehsil Bharmour	mnrega	72/11.10.21	stone	15	33.6	60	2016	54000	51428.6	2571.4
	Total							24771.328	1057198	996889.6	60308.4

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

Conversion Factor

2 **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3 **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**

One Cubic Meter (M^3) Sand	1.62
One Cubic Meter (M^3) Aggregate	1.52
One Cubic Meter (M^3) Stone	2.24

4 All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5 As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

Secretary
Gram P[illegible] Sachuin
Dev. Bl[illegible] [illegible]rmour
Distt. Chamba (H.P.)